खण्ड-187, अंक-8
बुधवार, 20 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(11 सितम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 187 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (२२७)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री,
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गंरु
कल्याणराय, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानी सिंह, डाक्टर
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरी शंकर राय, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरण सिंह, श्री
छेदी लाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ , चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थू सिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
प्रताप बहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बानकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री

महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली ख़ां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूम सिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायक सिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारी लाल रावत, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री

शकुंतला देवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ सितम्बर, १९५७ ई०

तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में बूरागांव स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर आक्रमण की शिकायत

*१--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या पुलिस मंत्री बतायेंगे कि गत २३-४-५७ को जिला पुलिस कप्तान बस्ती को एक आवेदन-पत्र द्वारा इस बात की शिकायत मिली कि लोटन थाने (जिला बस्ती) में बूरा गांव स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर कुछ लोगों ने २१-४-५७ को रात में संगठित आक्रमण किया ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी हां।

*२--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि उस आवेदन-पत्र के विषय पर उस की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उस आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में एक मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस पर अधिक प्रकाश डालना उचित नहीं है।

श्री झारखंडे राय---क्या गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस मामले में जो न्यायालय के विचाराधीन है कितने के विरुद्ध केस चल रहा है और किन-किन दफाओं के अन्दर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---धारा १०७ और ११७ के अन्दर कार्यवाही की गई है और वह मामला अदालत के विचाराधीन है।

डिप्टी सुपरिन्टेन्डेट पुलिस, कम्प्लेंट्स की नियुक्तियां

*३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की नियुक्ति की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल और अल्मोड़ा के अलावा बाकी सब जिलों में डी० एस० पी० (सी) की नियुक्ति की गई है। उपरोक्त तीन जिलों का काम क्रमशः बिजनौर, देहरादून तथा नैनीताल जिले के डी० एस० पी० (सी०) देखते हैं।

*४---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १ जनवरी, १९५५ से लेकर १ मार्च, १९५७ तक कितनी शिकायतें उन डी० एस० पी० महोदय के पास आईं और कितने आदमियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कम्पलेन्ट्स विभाग की आरम्भ होने की तिथि (१-२-१९५६) से १ मार्च, १९५७ तक ८,३५२ शिकायतें इन अफसरों के पास आईं। इनके सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के १,६३६ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

*५---श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कमेटियां बनाई गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---भ्रष्टाचार निरोधक समितियां प्रदेश के प्रत्येक जिले में काम कर रही हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मन्त्री महोदय यह जो नियुक्ति हुई है इसको देखते हुये इस विभाग को समाप्त करने का विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---समाप्त करने का तो कोई विचार नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह जो चार जिलों में नियुक्ति नहीं हुई है, इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---चार नहीं तीन ही हैं, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल और अलमोड़ा। वहां नहीं हुई इस ख्याल से कि जरा पहाड़ी इलाके हम लोगों से अच्छे हैं। वहां कम्प्लेंट वगैरह कम होती हैं। वहां के आदमी उस काम को कर लेंगे।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार के नोटिस में यह बात आयी है कि यह डी एस० पी० (कम्प्लेंट्स) पुलिस विभाग को छोड़ कर बाकी विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में कठिनाई अनुभव करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह तो उसका नियम ऐसा है कि पुलिस विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग के विभागाध्यक्ष जो हंते हैं वह जब कलेक्टर के थ्रू भेजते हैं तभी हम उन शिकायतों की जांच कर पाते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री महोदय को अनुभव है कि एस० पी० के मातहत होने के कारण डी वाई० एस० पी० को पुलिस की जांच करने में कुछ कठिनाई होती है और वह इंडिपेंडेंटली जांच नहीं कर पाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं इस प्रकार की शिकायत आती है तो उसकी हम जांच कर लेते हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि डी एस० पी० (कम्प्लेंट्स) को हटाकर उस स्थान पर एस० डी० एम० को रखा जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी पुलिस अधिकारी के प्रति शिकायत भेजे जाने पर प्रथम उसकी स्वीकृति एस० पी० से अनिवार्य रूप से ले लेनी होती है, तब भ्रष्टाचार की जांच होती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--किस चीज़ की स्वीकृति पूछ रहे हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी--किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के ऊपर जांच करने के लिये अनिवार्य रूप से पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की स्वीकृति।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिकयतों की संख्या दी गई है उस में जो कवाल टाउन्स हैं उनमें कितनी शिकायतें पुलिस की हैं और कितनी खाद्य विभाग की हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कितनी शिकायतें पुलिस की हैं और कितनी खाद्य विभाग की हैं जब प्रश्न माननीय सदस्य फिर से करेंगे और सूचना देंगे तो बतला दिया जायगा और कितनी कवाल टाउन्स की हैं और कितनी प्रदेश के अन्य जिलों की हैं यह भी सूचना देने पर ही बताया जा सकता है। लेकिन यह निवेदन कर दूं कि जो शिकायतें आती हैं वे ज्यादातर पुलिस की ही होती है और दूसरे विभागों की शिकायतें जब कलेक्टर द्वारा डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स को मिलती हैं तो उन पर जांच की जाती है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कोई भी शिकायत जो डी० एस० पी० कम्प्लेंट्स के पास भेजी जाती हैं तो उस पर तब तक जांच नहीं होती जब तक एस० पी० जिला के पास भेज कर उस पर स्वीकृति उनकी न ले ली जाय?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब वे दे चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार इस कम्प्लेंट्स सम्बन्धी योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिये इसमें कुछ संशोधन करने जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह स्कीम बहुत संतोषजनक ढंग से चल रही है और फिर जो आवश्यकता होगी, वह किया जायगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--क्या यह सही है कि जो भ्रष्टाचार कमेटियां जिलों में कार्य कर रही हैं, उनको अधिकार न होने के कारण जिलों में कार्य ठीक से नहीं चल रहा है?

श्री अध्यक्ष--वह कह चुके हैं कि कार्य ठीक से चल रहा है। इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछा जा सकता।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डी० एस० पी० कम्पलेंट्स के अधिकार क्षेत्र के भीतर गजेटेड आफिसर्स के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं उनको लाने का सरकार का कोई विचार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

पुलिस कप्तान, आजमगढ़ को "मधुवन थाने की पुलिस की धांधली" शीर्षक नामक पत्र

*६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जिला पुलिस कप्तान, आजमगढ़ के पास १-७-५७ को "मधुवन थाने की पुलिस की धांधली" शीर्षक नामक पत्र क्षेत्रीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नत्थूपुर, जिला आजमगढ़ के मन्त्री ने दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां।

*७---श्री रामसुन्दर पांडेय---यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस सम्बन्ध में कम्प्लेंट्स आफिसर, सर्किल इंस्पेक्टर तथा थाना अध्यक्ष ने जांच की और इसमें पुलिस के विरुद्ध लगाये गए आरोप असत्य पाये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्प्लेन्ट्स आफिसर ने किस शिकायत की जांच की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अगर आज्ञा हो तो मैं पूरा पढ़ दूं कि किन-किन शिकायतों की जांच हुई ?

श्री अध्यक्ष---सभी शिकायतों की जांच की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, जो पत्र दिया गया था मधुवन थाने के विरुद्ध, उसमें जो उल्लिखित शिकायतें थीं, उनके विरुद्ध जांच की थी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ब्यौरेवार बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैंने पूछा है कि कम्पलेंट्स आफिसर ने किस शिकायत की जांच की, सर्किल इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष ने किस शिकायत की जांच की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कम्प्लेन्ट्स आफिसर और थानाध्यक्ष दोनों से शिकायत की जांच कराई गई और जो रिपोर्ट जांच के फलस्वरूप आई वह आप के सामने है। किन किस केस में किस-किस ने जांच की इसकी तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष के खिलाफ जो शिकायत की जाती हैं, क्या थानाध्यक्ष ही उसकी जांच कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---पहले आप यह पूछिये कि थानाध्यक्ष के खिलाफ कोई शिकायत थी, तब आप उसका पूरक पूछ सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि इन शिकायतों में थानाध्यक्ष के खिलाफ भी कोई शिकायत थी और इसकी जांच उन्हीं से करायी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, इसमें दो एक मामलों में डी एस० पी० ने जांच की, जिसमें कि वहां के थानाध्यक्ष के खिलाफ शिकायत थी।

श्री अध्यक्ष---यानी उन्होंने खुद जांच अपनी नहीं की।

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश हैं कि वह शिकायत जिसके खिलाफ हो वह खुद न करे, बल्कि उसके ऊपर का अफसर करे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---फिर मैं यह जानना चाहता हूं कि जितनी शिकायतें हैं उनमें किन-किन शिकायतों की जांच कम्पलेंट अफसर ने की, कितनी सर्किल इंसपेक्टर ने की और कितनी थानाध्यक्ष ने की ? जब तक यह साफ नहीं हो जाता तब तक हम अंधेरे में हैं।

श्री अध्यक्ष---इसका मतलब यह है कि सब शिकायतों के बारे में वह बतायें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---वह साफ होना चाहिये। वह तो बता रहे हैं कि सब की कम्पलेंट अफसर ने और सब की सर्किल इंसपेक्टर ने और सब की थानाध्यक्ष ने जांच की।

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस तफसील के लिए तो फिर सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष के खिलाफ खास तौर पर जो शिकायत थी, उसकी जांच थानाध्यक्ष ने की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा खयाल है उसकी जांच डी एस० पी० कम्पलेंट ने की।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस शिकायत में क्या यह भी है कि सर्किल इंस्पेक्टर ने जिस चीज की जांच की, वह मौके पर न जाकर थाने में ही जाकर जांच करके रिपोर्ट कर दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें जो जांच की रिपोर्ट है उससे तो मालूम पड़ता है कि मौके पर जाकर के की गयी है, क्योंकि कुछ शिकायतों में तो कुछ के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, कुछ में ऐसा समझा गया कि निराधार हैं।

*८-१०---श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद में फायर सर्विस की ट्रेनिंग के लिये नियम

*११---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में स्थित आग बुझाने की ट्रेनिंग देने वाले स्कूल में इस समय कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इलाहाबाद में स्थित आग बुझाने की ट्रेनिंग देने वाले स्कूल में इस समय २९ व्यक्ति शिक्षा पा रहे हैं।

*१२---श्री गनेशीलाल चौधरी---इस स्कूल में प्रदेश के विद्यार्थियों का चुनाव किस आधार पर होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस स्कूल के लिए कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ नगरों में स्थित राज्य फायर सर्विस के कर्मचारियों को समय-समय पर उनके लिये निर्धारित स्थानों के अनुसार सुपरिन्टेंडेंट पुलिस मनोनीत करते हैं। बाहर के लोगों के लिये इस स्कूल में जितने स्थान निर्धारित है, उनके लिये नियत अर्हताओं के आधार पर चुनाव किया जाता है।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २९ शिक्षार्थी जो शिक्षा पा रहे हैं इनमें से कितने डिपार्टमेंटल हैं और कितने बाहर से लिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२४ शिक्षार्थी १९५६ में थे और १९५७ में इस वक्त २९ हैं जिसमें २० फायर सर्विस के हैं और ९ बाहर के।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ९ जो बाहर के लिये गये उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, अब इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कितने हरिजन हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षार्थियों को शिक्षा देते समय सरकार की ओर से कोई वजीफा भी दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें तो जो फायर सर्विस हमारी है उसके अधिकतर आदमियों को शिक्षा दी जाती है। उन्हें वजीफा देने का सवाल नहीं उठता, वे तो प्रशिक्षण के लिए वहां भेजे जाते हैं। जो नये लिये जाते हैं उनसे फीस ली जाती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में शिक्षण की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर शिक्षा की शैक्षिक योग्यता से आपका मतलब है तो मैट्रिकुलेशन या उसके बराबर की योग्यता चाहिये।

सीतापुर जिले में विभिन्न प्रकार की वारदातों से संबंधित मुकदमे

*१३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५४ से ३० जुलाई, १९५७ तक कितनी डकैतियां, चोरियां, कत्ल और राहजनी की रिपोर्ट जिला सीतापुर के प्रत्येक थाने में दर्ज की गई ?

*१४—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के प्रत्येक थाने में उपर्युक्त दर्ज रिपोर्टों में से कितने केस न्यायालयों में भेजे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र (क) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५० पर)

*१५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त मुकदमे जो न्यायालयों में भेजे गये उनमें से सबसे अधिक मुकदमे किस थाने के सफल हुये और किस थाने के असफल हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र (ख) में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५१ पर)

आजमगढ़ नगर में विस्फोट

*१६—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर में दिनांक ३०-७-५७ को सांयकाल चौक के पास एक दुकान पर दो हैन्ड ग्रेनेड (Hand Granade) का विस्फोट किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी आतंकवादी कार्य वाहियां करने में किन लोगों का हाथ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मामूली ढंग के पटाखे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—जब पटाखे मामूली थे तो पुलिस किस मामले की जांच कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मामूली पटाखे किन लोगों ने बनाये, क्यों फेंके, क्यों ऐसी कार्यवाही की गई ? यानी जो पटाखे फेंके गये वह भयंकर नहीं थे लेकिन किन लोगों का इसमें हाथ है और क्यों ऐसा किया गया इसकी जांच पुलिस कर रही है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मामूली पटाखों के छूटने पर भी जांच करने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बतला दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इन पटाखों के छटने से दुकान को नुक्सान हुआ या और कोई दूसरा नुक्सान हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जो ३० तारीख को पटाखा फूटा उससे एक दूकान के दरवाजे को कुछ क्षति पहुंची है और कुछ लकड़ी वगैरह खराब हो गई है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जांच का क्या परिणाम हुआ है ? कोई आदमी गिरफ्तार हुआ है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, दो व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस बात की जांच हुई कि यह पटाखे थे या हैंड ग्रेनेड ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बतला दिया है कि पटाखे थे। क्या अब दोहराने से थोड़े ही वे बदल जायंगे और कहेंगे कि हैन्ड-ग्रेनेड थे।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हैंड ग्रेनेड और पटाखों में क्या अंतर रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—मैं तो समझता हूं कि यह प्रश्न आप किसी टेररिस्ट से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दो व्यक्तियों को किस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, जांच हो रही है, इस संबंध में अभी कुछ बताना उचित नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३० तारीख के अलावा भी कोई और पटाखा फूटा ?

श्री अध्यक्ष—यह तो नया सवाल है, लेकिन इसकी सूचना हो तो आप सूचना दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ९-८-५७ को एक और फूटा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह पटाखा फूटा उससे क्या नुक्सान हुआ और इस संबंध में कितने आदमी गिरफ्तार हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इससे नुक्सान तो कुछ नहीं हुआ। पटाखे जरूर फूटे और इस सिलसिले में जैसा मैंने निवेदन किया जांच हो रही है और दो आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ९-८-५७ को पटाखे फूटे, उनकी संख्या क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार एक ही मालूम होती है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो दो आदमी गिरफ्तार किये गये हैं वे पुलिस कस्टडी में हैं या जेल में और अगर जेल में हैं तो किस दफा के मातहत जेल में भेजे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है कि किस दफा में भेजे गये लेकिन जब रिगफ्तार किये गये तो जेल में ही होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों पटाखों के फूटने की घटनाओं की जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस के ।

घटियाघाट, जिला फर्रुखाबाद में नाव दुर्घटना

*१७—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६-७-५७ को घटियाघाट, जिला फर्रुखाबाद में नाव दुर्घटना से कितने प्राणियों की मृत्यु हुई और दुर्घटना का कारण क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस नाव दुर्घटना में किसी प्राणी की मृत्यु नहीं हुई । इस दुर्घटना का कारण यह था कि नाव एक ऐसे स्थान पर जमीन से टकराई जहां पहले गहरा पानी था पर हाल ही में रेत जमा हो गयी थी ।

श्री होरीलाल यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस नाव में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आदमी बैठाये गये थे यह भी उसका एक कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह भी ठीक मालूम होता है ।

श्री होरीलाल यादव—जब उस नाव में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आदमी बैठाये गये थे तो क्या सरकार उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ज्यादा आदमी तो नहीं बैठे, बल्कि ज्यादा बोझ लादा गया, क्योंकि उसमें एक बैलगाड़ी आमों से भरी हुई लदी थी और आदमी बैठे थे। तो अब यह आदेश दे दिये गये हैं कि वहां इस बात की देख रेख रहे और निगरानी रखी जाय कि जो नियम है उसी के अनुसार लदाई हुआ करे। तब से अभी तक कोई शिकायत नहीं आयी है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नाव दुर्घटना ग्रस्त हुई है उसमें कितने यात्री बैठे हुये थे और उस नाव की कैपेसिटी क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो बड़ी तफसील की बात मालूम होती है । जब नाव उलट गयी तो २० आदमी पानी में गिरे, इससे मालूम होता है कि २० आदमी उसमें बैठे थे और वह बैलगाड़ी भी गिर गयी जिसमें आम भरे थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि घटियाघाट का ठेका किस अधिकारी द्वारा दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस ठेकेदार की असावधानी के कारण कैपेसिटी से ज्यादा आदमी नाव में बैठे उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो इसका जवाब दे दिया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार जो घटियाघाट घाट का ठेका आदि पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा दिया जाता है इसके कोई नियम...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह सवाल गृह मंत्री से आप कर रहे हैं और आप पी० डब्ल्यू० डी० के नियमों का सवाल उन्हें पूछ रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पी० डब्ल्यू० डी० के नियम हैं इनके मातहत भी उस ठेकेदार को कोई सजा दी गई है ?

श्री अध्यक्ष—यह वे नहीं बता सकते हैं ।

*१८—श्री सूरतचन्द्र रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)—[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१९–२०—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२१–२२—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

गाजीपुर जिले में बाढ़ विभाग के भूतपूर्व अमीन पर प्रहार

*२३—श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्द शहर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १५–५–५७ को बाढ़ विभाग के भूतपूर्व अमीन पर छुरे का जो प्रहार किया गया उसमें कोतवाली पुलिस गाजीपुर ने किन-किन को अभियुक्त बनाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो प्रथम सूचना थाने में प्राप्त हुई थी उसके आधार पर non-cognizable अपराध का मामला बनता था । अतः पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

शिक्षा, उद्योग, श्रम तथा नियोजन विभागों के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य को एक ही विभाग के अन्तर्गत करने का सुझाव

*२४—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि शिक्षा, उद्योग, श्रम और योजना विभागों के अन्तर्गत जो शिक्षार्थियों का पृथक्-पृथक् प्रशिक्षण होता है उसे एक ही विभाग के अन्तर्गत कर दिया जाय ? सरकार इन विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न विचाराधीन है ।

इलाहाबाद नर्सरी स्कूल से उतीर्ण ट्रेण्ड अध्यापिकाएं

*२५—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में प्रति वर्ष कितने शिक्षक या शिक्षिकाएं नर्सरी स्कूल में शिक्षण का कार्य सीख कर निकलती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२० शिक्षिकाएं ।

*२६—श्री देवकीनन्दन विभव—[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२७–२८—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३०—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

१५ अगस्त के अवसर पर बन्दियों की रिहाई के नियम

*३१--- डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अगस्त के अवसर पर कुल सजा का कितना भाग काट लेने वाले कैदी छोड़े गये थे ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---विभिन्न श्रेणियों के बन्दियों को विभिन्न परिमाणों में परिहार या छटें दी गई। परिहारों के परिमाणों का विवरण संलग्न सूची (क) में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५२ पर)

हमीरपुर जेल से एक कैदी का भाग जाना

*३२---श्री डूंगरसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत मई के महीने में एक कैदी जो हमीरपुर जिले से भाग गया था उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस सम्बन्ध में एक जेलर तथा तीन वार्डरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है।

हमीरपुर जेल के दंडित तथा विचाराधीन कैदी

*३३---श्री डूंगरसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि हमीरपुर जेल में इस समय कितने कैदी ऐसे है जो सजा भोग रहे हैं और कितने ऐसे है जिन पर मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---१ सितम्बर, १९५७ को ७६ दंडित बन्दी और ११४ विचाराधीन बन्दी थे।

फर्रुखाबाद जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*३४---श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में जून, १९५७ तक कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शनें स्वीकृत की जा चुकी हैं और कितने राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जून, १९५७ तक ७४ राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शनें स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा ३८ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

*३५-३६---श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)---[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७७-७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३७---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

क्षतिग्रस्त तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में जूनियर व माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों की फीस माफ करने पर विचार

*३८---श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)---क्या सरकार पूर्वी जिलों में माध्यमिक विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों की फीस १ साल के लिये माफ कर उसका व्यय स्वयं उठाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ?

श्री लोकनाथसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आप का प्रश्न था कि "क्या सरकार पूर्वी जिलों में माध्यमिक विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूलों के विद्यार्थियों की फीस १ साल के लिये माफ कर उसका व्यय स्वयं उठाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? उसका उत्तर मैंने दिया---जी नहीं। मैं अब इसका कारण क्या बताऊं ?

श्री लोकनाथसिंह---मेरे पूछने का मतलब, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जब सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि बनारस, गोरखपुर डिवीजन की स्थिति सन् १९५२ से अधिक कठिन है और सन् १९५२ में सरकार ने विद्यार्थियों की फीस मुआफ की थी, माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों की, तो उस को इसके मानने में क्या कठिनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनका प्रश्न था कि समस्त पूर्वी जिलों के जितने भी स्कूल हैं सब की फीस मुआफ कर दी जाय। ऐसा उस समय भी नहीं हुआ था और इस बार भी नहीं हो रहा है। यदि केवल क्षतिग्रस्त और अभावग्रस्त क्षेत्रों की बात है तो वह अवश्य सरकार के विचाराधीन है कि जहां इस बात की आवश्यकता प्रतीत हो, और उन लोगों को राहत देने की जरूरत महसूस हो वहां कुछ फीस मुआफ की जाय, लेकिन एक व्यापक और सामूहिक रूप से सारे जिले के सारे विद्यार्थियों की फीस मुआफ करने की कोई बात विचाराधीन नहीं है।

*३९---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०-४२---श्री मुक्तिनाथ राय---[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले की डकैतियों में बन्दूकों का प्रयोग

*४३---श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में जनवरी, १९५७ से जुलाई, १९५७ तक कितनी डकैतियां पड़ीं ? उनमें से कितनी डकैतियों में डाकुओं द्वारा बन्दूक इस्तेमाल की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला गोंडा में जनवरी से जुलाई, १९५७ तक ८ डकैतियां पड़ीं। इनमें से ६ में डाकुओं द्वारा बंदूक का प्रयोग किया गया।

श्री बलदेवसिंह---क्या इस एलनपुर के मामले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और यदि हुआ तो किस की हत्या के अभियोग में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी तो इस मुकदमे की तफतीश हो रही है।

श्री बलदेवसिंह---क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि इन दो घायल व्यक्तियों ने दरख्वास्त सरकार के पास भेजी है कि उनकी रिपोर्ट असली रूप में न लिख कर पुलिस ने मनमानी लिख ली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ८ डकैतियां पड़ी हैं उनमें जो बंदूकें इस्तेमाल की गयी हैं वे लाइसेंस वाली हैं अथवा गैर-लाइसेंस वाली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हर बंदूक जो पकड़ी गई है वह लाइसेंस वाली है या बिना लाइसेंस की, इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ८ डकैतियां पड़ी हैं और जिनमें ६ बन्दूकों का प्रयोग हुआ है उसमें कितने व्यक्तियों की जानें गयी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो नया प्रश्न है। इतना ही कह सकता हूं कि इसमें ७ डकैतियों में अभियुक्त पकड़े गये हैं और ५ में चालान हो चुके ह।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गोंडा जिले में और दूसरे प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में इस बात को देखते हुये कि अब डकैतियों में फायर-आर्म्स का प्रयोग ज्यादा होता है क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि फायर-आर्म्स इतनी बड़ी संख्या में कहां से उनको प्राप्त होते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, सरकार इस पर बराबर विचार करती है और जांच-पड़ताल भी करती है और कुछ डकैतियों में पकड़े भी हैं।

श्री बलदेवसिंह---जिन छः डकैतियों में बन्दूक का इस्तेमाल किया गया उनमें आज तक कोई बन्दूक पुलिस ने पकड़ी भी है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि ८ डकैतियों में ५ का चालान हो चुका है तो उनमें पुलिस ने अवश्य ही बन्दूकों को बरामद किया होगा।

मौजा एलनपुर, थाना मनकापुर की डकैती

*४४---श्री बलदेवसिंह---क्या यह सही है कि २८ जून, १९५७ को मौजा एलनपुर थाना मनकापुर में एक डकैती हुई जिसमें दो आदमी बन्दूक से घायल हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उस तारीख को मौजा एलनपुर में बंदूक से दो आदमी घायल होने की एक घटना अवश्य हुई। अभी तक की जांच से यह मामला डकैती का न होकर हत्या के प्रयत्न (धारा ३०७ भा० दं० वि०) का प्रतीत होता है। जांच जारी है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मौजा एलनपुर में जो व्यक्ति बन्दूक से घायल हुये हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति को नामजद भी किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---रिपोर्ट से नामजद करने की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ७ व्यक्तियों में अभियुक्तों का चालान हुआ है उनमें कितनी ऐसी डकैतियां हैं जिनमें डकैती में ही चालान हुआ है या कोई ऐसी भी है जिसमें क़त्ल और डकैती दोनों में चालान हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, ७ में अभियुक्त पकड़े गये हैं। ५ डकैतियों में चालान हो चुके हैं। अब किन-किन का चालान हुआ है यह मैं नहीं बतला सकता हूं।

गोंडा जिले में कत्ल के मुकदमे

*४५---श्री बलदेव सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में जनवरी, १९५७ से जुलाई, १९५७ तक कितने कत्ल हुए और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस अवधि में कुल कत्ल २१ हुए हैं। इनमें से १७ कत्ल के मामले चालान किये गये और न्यायालय में चल रहे हैं। ३ कत्लों में अभी जांच हो रही है और एक मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है।

श्री बलदेवसिंह---जिस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है यह कौन मामला है, क्या यह सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह छबिया थाने का मामला है।

श्री बलदेवसिंह---कौन व्यक्ति मारा गया है और उसकी रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार यह बतलायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इतनी तफसील के साथ उत्तर देना बड़ा कठिन है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय गृह मंत्री को ज्ञात है कि फाइनल रिपोर्ट जो लगा दी गयी है उसमें नामजद रिपोर्ट की गयी है। तो पुलिस ने नामजद रिपोर्ट किये जाने पर जो फाइनल रिपोर्ट लगा दी है उसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नामजद रिपोर्ट का हो जाना अच्छा नहीं है। फाइनल रिपोर्ट इसलिये लगा दी गई कि वह लापता रहा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ७ महीने में जो २१ क़त्ल हुये हैं यह औसत है, वहां का, जैसे कि गोंडा जिले में होता है, या इससे ज्यादा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरे खयाल में यह गोंडा जिले का औसत तो है ही, किन्तु जो गत वर्ष औसत हुआ था उससे यह ज्यादा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क़त्लों की इस वृद्धि का कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस पर तो बजट के समय और कई बार काफ़ी बहस हो चुकी है।

श्री बलदेवसिंह---इसमें यह बतलाया गया है कि सूचना की आवश्यकता है। कोई चीज की जानकारी यदि माननीय मंत्री जी को हो तो वही सदन को बता दें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप वह उनके कमरे में ले लें।

प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में हुई आत्महत्याएं

*४६---श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५५ से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष में पृथक्-पृथक् इस प्रदेश में कितनी आत्म-हत्याएं हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सन् १९५५ में १,५८८, १९५६ में १,८१५ तथा ३० अप्रैल सन् १९५७ तक ६३९ आत्म हत्याएं हुईं।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार बतावेगी कि इन हत्याओं के पीछे साधारणतया मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आत्महत्या करने वाले अक्सर कारण बता तो जाते नहीं हैं और मरने के बाद उनसे जांच करने का कोई तरीक़ा भी अभी तक नहीं निकला है। फिर भी, कुछ तो बीमारी से ऊब कर, कुछ घरेलू झगड़ों के कारण, कुछ प्रेम में असफल होने से, और कुछ परीक्षा की असफलता के कारण आत्महत्या कर लेते हैं।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन कारणों को माननीय मंत्री ने बताया है उनमें प्रत्येक की प्रतिशत क्या है ?

श्री अध्यक्ष---इसका अगर आपने पता लगाया हो तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---इतनी तफ़सील का उत्तर असम्भव है।

श्री अध्यक्ष---असम्भव तो कोई चीज नहीं है। सायंटीफिकली ऐसे प्रश्नों को जांचने के लिये लोग ऐसे आंकड़े इकट्ठे कराते हैं, लेकिन इस समय मैं उन आंकड़ों को पूछने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार आगे कोई ऐसी तालिका तैयार करेगी जिससे पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में आत्महत्याओं में से किन-किन कारणों से कितनी प्रतिशत हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, अगर इसमें माननीय सदस्य को कुछ दिलचस्पी हो तो इस बात की चेष्टा की जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बड़ा लम्बा काम है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी आत्महत्या करने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि का कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने एक बार उसका जवाब दे दिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---आत्महत्याओं का मुख्य कारण क्या उनकी गरीबी और बेकारी रहा है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कारण बतला दिये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---सन् १९५७ में आत्महत्याओं में विद्यार्थियों का अंश कितना रहा है ?

श्री अध्यक्ष---प्रतिशत के बारे में कह दिया है कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जिन आत्महत्याओं का वर्णन माननीय मंत्री जी ने किया उनमें से कुछ बेकारी के कारण भी हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, हो सकती हैं।

*४७---श्री गंगाप्रसादसिंह---[१५ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४८-४९---श्री वीरेन्द्र वर्मा---[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०-५१---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७९-८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५२---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३-५५---श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)---[१७ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १८-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर जिले के नर्वल निवासी श्री देवीप्रसाद अवस्थी का कत्ल

*५६---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ३०-५-५७ तारीख को ग्राम नर्वल, जिला कानपुर के भूतपूर्व मुखिया श्री देवीप्रसाद अवस्थी का जो कत्ल कर दिया था उस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--धारा ३०४ आई० पी० सी० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया था, किन्तु बड़ी छानबीन करने पर भी अपराधियों का पता न लगने के कारण जांच बन्द कर देनी पड़ी ।

*५७--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या यह सही है कि जांच के दरमियान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी लिये गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जांच किसी उच्चाधिकारी द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो किस उच्चाधिकारी द्वारा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच करायी गई । किस अधिकारी द्वारा कराई गयी, इस की सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत काफी अर्से तक जांच होती रही और उसका कोई पता नहीं लगा । इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या जांच करने वाले अधिकारियों में वह थानेदार भी सम्मिलित हैं, जिनके थाने की बात है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अपने थाने की वारदात की जांच पहले वहां का थानेदार करता ही है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--एफ० आई० आर० में किन-किन लोगों को नामजद किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नामजद किसी को नहीं किया गया था ।

श्री होरीलाल यादव--जिन कत्लों का स्थानीय पुलिस पता नहीं लगा पाती है क्या उनके लिये सरकार सी० आई० डी० को नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कोई आम बात नहीं है कि विचार रखे । कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी छानबीन करना सरकार आवश्यक समझती है तो उनमें ऐसा करती भी है ।

राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*५८--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने राजनीतिक पीड़ितों को सन् १९५५-५६ में पेंशन दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--६१६ ।

श्री टीकाराम--जिन लोगों को पेंशनें दी गई हैं, क्या उनके गुजर-बसर के साधन जांच लिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जांच-परताल जहां तक हो सकती है करके ही पेंशन दी जाती है ।

श्री झारखंडेराय--क्या पेंशनों में किसी को अधिक और किसी को कम देने का आधार उनका त्याग या आर्थिक अवस्था से सम्बन्ध रखता है या और किसी बात से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आर्थिक अवस्था भी देखते हैं और और बातें भी देखते हैं । साधन भी देखते हैं । कमी या बेशी इस आधार पर विशेष नहीं है कि जिन लोगों ने भाग लिया उनमें किसी का त्याग अधिक है या कम । जो कुछ हम पत्रम्-पुष्पम् देते हैं वह त्याग और कार्य के अनुपात से नहीं है । जो कुछ बन पड़ता है, देते हैं ।

*५९--श्री टीकाराम---[९ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६०-६१---श्री गौरीशंकर राय---[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

सूचना विभाग के अस्थायी अपर डिवीजन कर्मचारी

*६२--श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के सूचना विभाग में उन प्रथम श्रेणी (Upper Division Assistants) की संख्या क्या है जो बिना लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित हुये अस्थायी तौर पर सीधे प्रथम श्रेणी (Upper Division) में ले लिये गये हैं और कितने ऐसे हैं जिनका सेवा-काल क्रमशः एक साल, दो साल, तीन साल और चार साल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१४; एक साल से कम---१, दो साल से कम---३, तीन साल से कम---१, चार साल और उसके ऊपर---९ ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ६ माह से अधिक बिना लोक सेवा आयोग से परीक्षित ये लोग किन कठिनाइयों के कारण अभी तक विभाग में काम करते रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कठिनाइयां कुछ नहीं हैं । उनके परीक्षण के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या इस सम्बन्ध में जो नियम हैं कि ६ माह से अधिक बिना लोकसेवा आयोग के सामने आये, कार्य नहीं करना चाहिये, इसके विपरीत इतने दिनों तक क्यों रखे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कभी-कभी ऐसा होता है कि कार्य की अधिकता के कारण उसकी कार्य अवधि बढ़ जाती है, लेकिन इसकी चेष्टा हम बराबर कर रहे हैं कि जिससे वह कार्यवाही कर ली जाय । आप जैसा देखेंगे, अधिकतर वही लोग हैं जो हमारे यहां काफी दिनों से अस्थायी काम करते रहे हैं ।

एटा जिले के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, कम्पलेण्ट्स को प्रार्थना-पत्र

*६३---श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ व १९५७ में एटा जिले के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (कम्पलेन्ट्स) के पास जनता द्वारा कितनी-कितनी दरख्वास्तें भेजी गईं ? उनमें से कितनों की जांच की गईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सन् १९५६ में १४९ और १९५७ में अगस्त के अन्त तक १११ दरख्वास्तें भेजी गईं । सन् १९५६ की सब दरख्वास्तों पर और सन्१९५७ की १०७ दरख्वास्तों पर जांच हो गई है ।

*६४--श्री मोहनलाल वर्मा---[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर जिले के मूसानगर थाने की इमारत के लिए जमीन

*६५--श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर जिले के मूसा नगर थाने की इमारत कब तक बनवाने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इमारत के लिये भूमि खरीदी जा चुकी है तथा थाने की इमारत बनाने की बात योजना में सम्मिलित कर ली गई है । समयानुसार कार्यारम्भ किया जा सकेगा ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जमीन कितने दिनों से खरीदी हुई पड़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कितने दिनों से पड़ी है यह तो मालूम नहीं, लेकिन यह जमीन खरीद ली गयी है और उस पर थाना बनाने का प्रश्न योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और समयानुसार उस पर कार्य आरंभ कर दिया जायगा ।

बीसलपुर, जिला पीलीभीत में गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल की आवश्यकता

*६६---श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बीसलपुर, जिला पीलीभीत में कोई सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

श्री बिहारीलाल---सरकार को खोलने में ऐसी कौन सी बाधा है जब कि इस क्षेत्र में कन्या माध्यमिक शिक्षा का कोई साधन नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसे मामलों में पैसा ही बाधा हो सकता है ।

*६७---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

देवरिया जिले के बधउच घाट तथा फाजिलनगर में पुलिस चौकियों की आवश्यकता

*६८---श्री रामायणराय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बधउच घाट (देवरिया) में तथा फाजिलनगर में पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

*६९---श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७०---श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)---[२५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

बलिया जिले में डाकों तथा कत्लों में बढ़ती

*७१---श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले में सन् १९५६ के जनवरी मास से लेकर १९५७ के ३१ जुलाई तक थानेवार कितनी डकैतियां एवं कत्ल हुए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५३ पर।)

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन २७ डकैतियों में से कितनी डकैतियों का चालान कोर्ट में हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१४ डकैतियों का चालान हो चुका है ।

श्री गौरीशंकर राय---यदि हां, तो उन अपराधों को रोकने के लिये सरकार कौन सी विशष व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह दो प्रदेशों की सीमा का इलाका है, संभव है इसके कारण अपराध अधिक होते हों । इसके लिये अभी हाल में दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के बीच बात-चीत हुई थी और उसके फलस्वरूप कुछ और व्यवस्था की गयी है और आशा की जाती है कि अब अपराधों की संख्या में कमी आयेगी ।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन १४ डकैतियों में, जिनका चालान हुआ है, डकैत बलिया जिले के ही हैं, अथवा बाहर के हैं ?

श्री अध्यक्ष---इन १४ डकैतियों के जो डकैत हैं, उन सब का पता माननीय मंत्री जी बता सकेंगे, इसकी मैं उम्मीद नहीं करता ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस बांसडीह के थाने में सबसे अधिक जुर्म हुए हैं, क्या वह यू० पी० और बिहार की सरहद का थाना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन १४ डकैतियों में जिनका चालान हुआ है, कितने मुल्जिमान सजायाब हुये हैं और कितने छोड़ दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इनमें दंडित १ है, छूटे ४ हैं और ९ अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

आजमगढ़ जिले में राजनीतिक पेन्शनयाफ्ता व्यक्ति

*७२---श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के राजनीतिक पीड़ित पेन्शन पाने वालों की संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१०९ ।

*७३---श्री रामसुन्दर पांडेय---[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७४---श्री टीकाराम---[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शिक्षा विभाग के अस्थायी सहायक उप-निरीक्षकों को स्थायी करने की मांग

*७५---श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में शिक्षा विभाग में कुल कितने सहायक उप-निरीक्षक काम कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---४३८ ।

*७६---श्री रामलक्षण तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनमें कितने अस्थायी हैं और कितने स्थायी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस समय जो सहायक उप-निरीक्षक कार्य कर रहे हैं उनमें २११ व्यक्ति अस्थायी हैं और शेष २२७ व्यक्ति स्थायी ।

*७७---श्री रामलक्षण तिवारी---क्या सरकार इनके स्थायी करने के सम्बन्ध में शीघ्र कोई कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, ऐसे स्थायी पदों पर जो स्थायी रूप से रिक्त हैं और जिनमें किसी का "लियन" नहीं है, नियमानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा खुली भर्ती से अथवा वैभागिक चुनाव समिति द्वारा पदोन्नति से स्थायी नियुक्ति की जायगी ।

श्री रामलक्षण तिवारी---क्या सरकार बतला सकती है कि जो सहायक उप-निरीक्षक स्कूलों के हैं, वे निरीक्षण कार्य के लिये और स्कूलों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये पर्याप्त हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा खयाल है कि अभी तक तो कोई अपर्याप्त की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो अस्थायी सहायक-उप-निरीक्षक इस प्रदेश में हैं, वे कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ये तो नये ६० पद हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सृजित किये गये हैं, वे १ जुलाई सन् १९५६ से काम कर रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सहायक-उप-निरीक्षकों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको ३ साल से ज्यादा काम करते हो गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने आपके प्रश्न का अर्थ विशेषसमझा नहीं, लेकिन कुछ थोड़े से पद बाकी हैंजिनके लिये स्थायी चुनाव करने हैं और बाकी लोग तो स्थायी पदों पर नियुक्त हो चुके हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जो अस्थायी हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको कामकरते ३ साल से अधिक हो गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हो सकता है कि ऐसे हों ।

पूर्वीय जिलों में विद्यार्थियों की फीस मुआफ करने के सम्बन्ध में आदेश

*७८---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वीय उत्तर प्रदेश के जिलों के गरीब छात्रों की फीस माफी के मद में सितम्बर, १९५६ से जून सन् १९५७ तक अलग-अलग जिलों को कितनो-कितनी सहायता प्रदान की जा चुकी है तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों की मांग के अनुसार कितना-कितना बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सितम्बर १९५६ से जून १९५७ तक के स्वीकृत धन की सूची 'अ' संलग्न है । जून, १९५७ के बाद की जो मांग बाकी थी उसकी स्वीकृति के आदेश भी इस माह के पहले सप्ताह में जारी हो चुके हैं । इस धन की सूची 'ब' संलग्न है । इस समय कोई और मांग स्वीकृत करने को शेष नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६५४-६५५ पर ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में यह सहायता प्रदान की गयी है, उन जिलों के जिलाधीशों से पुनः पूंछताछ करके उत्तर दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, यह तो जिले से आयी हुई रिपोर्ट के आधार पर तो उत्तर दिया ही जाता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना समझ कर फिर से जांच कराने को कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में विद्यार्थियों की फीस की माफी के मद में लगभग ८३ हजार रुपया बाकी है और जिसके कारण बहुत से स्कूलों के अध्यापकों का वेतन भी बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, जांच करा लेंगे और इसका पता लगवा लेंगे ।

मैनपुरी जिले में ग्राम-रक्षा-समितियों को बन्दूक के लाइसेंस

*७९—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २२ सितम्बर, १९५५ के प्रश्न संख्या २० के उत्तर के मुताबिक मैनपुरी जिले में कितने ग्रामों में एस० पी० ने रक्षा समितियां बनवाई हैं और कितने सदस्यों को बन्दूकों के लायसेंस दिलवाये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैनपुरी जिले के ८१० ग्रामों में ग्राम रक्षा समितियां कार्य कर रही हैं। इन समितियों के सदस्यों के पास ३२८ बन्दूक के लायसेंस हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को बन्दूकों के लाइसेन्स नहीं मिले हैं वह उनको कब तक मिल जायंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि अगर नहीं मिले होंगे तो वह उनको शीघ्र ही मिल जायंगे क्योंकि उनको देने के लिये सरकारी आदेश हैं।

झांसी जिलान्तर्गत मोठ तथा महरौनी हायर सेकेण्डरी स्कूलों को मानव सेवक समाज संस्था को सौंपना

*८०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी की मोठ और महरौनी तहसीलों के सदर मुकामों से जिला बोर्ड के डिस्ट्रक्ट बोर्ड हायर सेकेंण्डरी स्कूल, मोठ तथा जूनियर हाई स्कूल, महरौनी तोड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। स्कूल तोड़े नहीं गये अपितु यह मानव सेवक समाज नामक रजिस्टर्ड संस्था के प्रबन्ध में सौंप दिये गये।

*८१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार को पता है कि उक्त जिला बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने मानव सेवक समाज नामक संस्था जिसके वह स्वयं आजीवन अध्यक्ष हैं कायम करके उक्त स्कूलों को मय इमारतों व पूरे सामान सहित उक्त संस्था को दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त दोनों स्कूलों की इमारतें सामान सहित मानव सेवक समाज को किराये पर दी गई हैं, क्योंकि जिला परिषद्, झांसी की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी कि वह स्वयं इन स्कूलों को चला सकता।

*८२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिला बोर्ड ऊपर लिखे स्कूलों को कोई आर्थिक सहायता देती है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। कोई आर्थिक सहायता नहीं देती।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मानव सेवक समाज नामक संस्था वह संस्था है जिसके आजीवन अध्यक्ष मौजूदा जिला बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

बरेली जिले में धारा १०९ के तहत जाब्ता फौजदारी के मुकदमें

*८३—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५७ में बरेली जिला जेल में १०९ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कितने under trials बन्द रहे ?

---

*नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री मुजफ्फर हसन---७६ ।

*८४---श्री शिवराज बहादुर---क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि जनवरी, १९५६ से जून, १९५७ तक उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों पर जिला बरेली में मुकदमें चलाये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन---९०३ ।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील में लड़कियों के स्कूल की आवश्यकता

*८५---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में लड़कियों के उच्चतर माध्यमिक एवं जूनियर माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और उनमें से कितने बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८६---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार का इरादा इस वित्तीय वर्ष में बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील में कोई लड़कियों का स्कूल खुलवाने का है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८७---श्री गंगा प्रसाद---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले में घनघटा थाने के अन्तर्गत कत्ल

*८८---श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)---क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करें गे कि थाना घनघटा, जिला बस्ती में जनवरी सन् १९५७ से जुलाई, १९५७ तक कितने कत्ल हुए और डाके पड़े हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस अवधि में वहां तीन कत्ल धारा ३०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत हुए । एक का पता नहीं चला, एक का चालान हुआ और अभियुक्त को सजा हुई और एक पर कार्यवाही अभी हो रही है । डकैती की कोई घटना नहीं हुई ।

*८९-९०---श्री मोतीलाल अवस्थी---[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ७४-७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

कप्तानगंज तथा कलवारी थानों में वारदातें

*९१---श्री रामलाल (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना कप्तानगंज और थाना कलवारी के अन्तर्गत सन् १९५६ और सन् १९५७ में कितनी चोरियां और डकैतियां हुयीं ?

*९२---इन चोरियों और डकैतियों में कितनी चोरियों और डकैतियों का पता लग सका और कितने चोर और डाकू पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मांगी हुई सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६५६ पर ।)

आजमगढ़ जिले में दण्ड विधि संग्रह की धारा १०७ के अन्तर्गत मुकदमें

*९३---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जनवरी सन् १९५७ से जून सन् १९५७ तक धारा १०७ दं० वि० सं० के कितने मुकदमे चले हैं और इस समय कितने चल रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में आजमगढ़ जिले में धारा १०७ दं० वि० सं० के अन्तर्गत ३३३ मुकदमे चले। इनमें से १२३ मुकदमे अब भी चल रहे हैं।

आजमगढ़ जिले में कत्ल और डकैतियां

*९४--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जनवरी सन् १९५७ से जून सन् १९५७ तक कितनी डकैतियां पड़ी हैं तथा कितने कत्ल हुए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में आजमगढ़ जिले में ८ डकैतियां पड़ीं तथा ५ कत्ल हुए।

बस्ती जिले के तिलोकपूर तथा ढेवरुआ थानों में हत्यायें

*९५--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले ४ वर्षों में थाना तिलोकपुर व थाना ढेवरुआ, जिला बस्ती में कुल कितनी मनुष्य हत्याएं हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५३ से १९५६ तक थाना तिलोकपुर तथा थाना ढेवरुआ में क्रमशः ५ तथा २ मनुष्य हत्याएं हुई हैं।

*९६-९७--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--[हटा दिये गये।]

एटा के कम्पलेंट आफिसर की फाइल गायब होना

*९८--श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या यह सत्य है कि एटा के कम्पलेंट आफिसर की रिपोर्ट की फाइल जो जून सन् १९५७ में डी० आई० जी० को भेजी जाने वाली थी गायब हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार उसके विषय में क्या कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। यह घटना १५ और १६ जुलाई, १९५७ के बीच की रात की है। इस मामले की अभी जांच हो रही है।

आजमगढ़ जिले में बन्दूकों की चोरी

*९९--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के किन-किन थानों के अन्तर्गत पिछले एक वर्ष में कितनी बन्दूकें चोरी गयी हैं और अब तक पुलिस कितनी बन्दूकों का पता लगाने में समर्थ रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आजमगढ़ जिले में पिछले वर्ष (१९५६) में अहरौला थाने के अन्तर्गत एक, महाराजगंज थाने के अन्तर्गत एक तथा मुहम्मदाबाद थाने के अन्तर्गत एक बन्दूक चोरी गयी। इन में से पुलिस ने महाराजगंज वाली बन्दूक का पता लगा लिया है।

टामसन इण्टर कालेज, गोंडा में विद्यार्थियों से भवन निर्माणार्थ चन्दा

*१००--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार को पता है कि पिछले तीन वर्षों से मास जुलाई में छात्रों के प्रवेश के समय टामसन इन्टर कालेज, गोंडा में प्रत्येक विद्यार्थी से, चाहे वह नया हो चाहे पुराना, पांच रुपया चन्दा भवन निर्माण अन्य शुल्कों के साथ अनिवार्य रूप से लिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--टामसन इन्टर कालेज,गोंडा के अभिलेख का अवलोकन करने से यह प्रतीत हुआ कि गत तीन वर्षों में छात्रों के प्रवेश के समय, नये प्रवेश विद्यार्थियों से ५ रु० तथा पुराने विद्यार्थियों से १ रु०, २ रु०, तथा ३ रु० तक चन्दा भवन निर्माण के हेतु लिया गया है, यह चन्दा अनिवार्य नहीं है। जो विद्यार्थी नहीं दे सकता है उसको बाध्य नहीं किया जाता है।

ऐंग्लो संस्कृत कालेज, फतेहपर का बन्द होना

*१०१--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐंग्लो संस्कृत कालेज, फतेहपुर कब से बन्द है और उसके बन्द होने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कालेज २३-१०-५४ से बन्द है। उसके बन्द होने के निम्नलिखित कारण हैं :--

(१) कालेज की प्रबन्धक समिति और उसके प्रधानाचार्य में झगड़ा।

(२) कुव्यवस्था।

(३) अनुशासनहीनता जिसके फलस्वरूप राजकीय अनुदान का बन्द होना तथा मान्यता का छिन जाना।

जिला बोर्डों के इन्स्पेक्टिंग स्टाफ को बोर्डों के अधीन करने का सुझाव

*१०२--श्री लोकनाथ सिंह--क्या सरकार जिला बोर्डों के इंस्पेक्टिंग स्टाफ को बोर्डों के अधीन करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

*१०३--श्री प्रतापसिंह--[सदस्य महोदय की प्रार्थना पर १८ सितम्बर, १९५७ क लिए स्थगित किया गया।]

घोड़ा रखने वाले पुलिस कर्मचारियों को भत्ता

*१०४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने पुलिस के कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें घोड़ा न रहने पर घोड़े का एलाउन्स दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--घोड़े का भत्ता केवल उन्हीं पुलिस कर्मचारियों को दिया जाता है जो वास्तव में घोड़ा रखते हैं।

अतारांकित प्रश्न

रायबरेली जिले के बछरावां थाने में कत्ल व राहजनी की वारदातें

१--श्री चन्द्रिकाप्रसाद (जिला रायबरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बछरावां (जिला रायबरेली) थाने में माह अप्रैल, १९५७ से माह जून सन् १९५७ तक कितने कत्ल हुए, कितने राहजनी के केस हुए और भविष्य में उनके रोकने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना इस प्रकार है :--

कत्ल	राहजनी
२	१

इन घटनाओं के बाद वहां एक आर्म गार्ड भेजा गया जिसने गश्त की। थाना पुलिस द्वारा भी वहां गश्त करायी गयी। इसके बाद से वहां कोई घटना नहीं हुई है।

२-३--श्री प्रतापसिंह--[सदस्य महोदय की प्रार्थना पर १८ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों को उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री रामस्वरूप वर्मा ने दो विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये हैं। वह इस प्रकार हैं कि बजट के भाषण में श्री कमलापति जी ने और श्री वित्त मन्त्री जी ने कुछ बातें कही थीं और वादे किये थे, वह कहते हैं कि उन की पूर्ति नहीं हुई इस लिए विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। मैं इनको अवैध करार देता हूं....

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, इस तरह से आप नहीं बोल सकते, मैं आपको अपने कमरे में भी बता चुका हूं कि वे बातें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकतीं। आप कृपा कर के अपने स्थान पर बैठें। मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में नहीं बोल सकते।

मैं इन प्रश्नों को अवैध करार देता हूं, क्योंकि इनमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई चीज बजट के वक्त कही गयी या कोई वादा किया गया कि फलां बात की जायगी तो उसके लिए प्रश्न पूछ कर आप कह सकते हैं और तब उत्तर मिल सकता है, लेकिन अगर दो मास में कोई चीज नहीं हुई तो उसके लिए विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय, ऐसी बात नहीं की जा सकती ह।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता था कि वह दोनों अलग-अलग हैं।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, लेकिन मैंने किसी बात के कहने की भी अनुमति नहीं दी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मेरा कहना यह है कि यह दोनों...

श्री अध्यक्ष---मैंने दोनों के बारे में कहा है कि वे विशेषाधिकार का विषय नहीं बन सकते।

साहु-सोडा-ऐश केमिकल्स फैक्टरी, दुलहीपुर, बनारस में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी का है जो इस प्रकार है :---

"साहु सोडा-ऐश केमिकल्स फैक्टरी, दुलहीपुर (जिला बनारस) में सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज, जिसके फलस्वरूप अनेक स्त्री-पुरुषों को गहरी चोटें तथा उनका घायल होना---जिन में एक ७० वर्ष की आयु का सत्याग्रही है, आठ सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी और उनको फैक्टरी के एक कमरे में गैर कानूनी तरीके से बन्द किये जाने से उत्पन्न असन्तोष एवं उत्तेजनात्मक वातावरण पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस में उन्होंने, कब की घटना है, क्या उसका ब्योरा है, यह कुछ नहीं दिया है। सिर्फ जो तार उनके पास आया है वह शायद १० तारीख का है। उस तार के भरोसे यह कामरोको प्रस्ताव दिया है।

मैं इसकी अनिश्चितता के कारण इजाजत नहीं देता हूं। कोई निश्चित घटना नहीं है। कब की घटना है, क्या है, कोई ब्योरा नहीं है। लेकिन गृह मन्त्री शायद

श्री अध्यक्ष]

इस घटना की कुछ जानकारी रखते हों, तो आदरणीय सदन को दे दें, क्योंकि इसमें जो बातें कही गयी हैं वे महत्व की हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो झगड़ा है, जिसका मैंने प्रस्ताव दिया है, झगड़ा पुराना है, बहुत दिनों से चल रहा है। इसलिए गृह मन्त्री जी को या सरकार को कम से कम इस विषय में . . .

श्री अध्यक्ष---मैंने कहा तो है कि वह सूचना दें, अगर उनके पास कोई हो।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---श्रीमन्, जो सूचना अभी तक उपलब्ध है वह मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर देता हूं।

कम्युनिस्ट पार्टी २८ अगस्त से इस मामले में थोड़ी दिलचस्पी लेने लगी और वहां आन्दोलन पैदा करने की उसकी ओर से कुछ कोशिश हुई।

जो सूचना मिली है उससे मालूम होता है कि कल कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता जिनकी तादाद २५ थी और उनमें ६ महिलाएं थीं, एक श्री रामनरेशसिंह जी जो वहां स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में सत्याग्रह की घोषणा करते हुए गये और उन्होंने फैक्टरी के जितने रास्ते थे उन सब रास्तों को रोक दिया और खुद फैक्टरी के भीतर गये और वहां जो काम हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की । इस फैक्टरी के वाच और वार्ड स्टाफ ने इन लोगों को भीतर जाने से रोकने की कोशिश की। वहां के दरबान को जबरदस्ती बाहर घसीट कर ले आये। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने उसे लाठियों से बुरी तरह पीटा । इस सम्बन्ध में श्री रामनरेश सिंह और उन के पांच और साथी कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये । इन लोगों ने पुनः अभी यह नोटिस दे रखा है कि उनका इस प्रकार का सत्याग्रह चलता रहेगा।

जो आदमी कल पीटा गया है उसे काफी चोट आयी है जिसका उपचार किया जा रहा है।

श्री झारखंडे राय---माननीय गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी सूचना के अनुसार यह सत्याग्रह किन कारणों को लेकर हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष---इसके लिए आप अल्पसूचित प्रश्न भेजिये, क्योंकि उन्होंने आपको सूचना तो दे दी। कामरोको प्रस्ताव को मैंने स्वीकार नहीं किया है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के विषय में सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि बहुत से अल्पसूचित तारांकित प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा भेज दिये जाते हैं, यद्यपि वह नियमों के अनुसार साधारण तारांकित होने चाहिए। इसमें यह दिक्कत हो जाती है कि मुझे यह तय करना पड़ता है कि उनके जवाब देने में कितना समय लगेगा, क्योंकि बहुत से प्रश्नों में जिले से खबर मंगानी होती है और बहुत सी चीजें उसमें पूछी गयी होती हैं ।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात का खयाल रखेंगे कि जो यहां सेक्रेटेरियट में कोई चीज तात्कालिक प्राप्त हो सकती है उसके बारे में अल्पसूचित प्रश्न दे दें या जो सरकार की नीति से सम्बन्ध रखने वाली चीज हो उसमें अल्पसूचित प्रश्न दे दें। लेकिन बहुत सी मालूमात ऐसी करनी होती हैं जो देहात की हैं, पंचायतों की हैं, जिले के बहुत से विभागों से भी बहुतों का सम्बन्ध होता है, उसके लिए साधारण तारांकित प्रश्न ही भेजा करें तो ज्यादा अच्छा हो । नहीं तो उसमें समय बहुत खर्च हो जाता है और फिर पीछे से शिकायत इस बात की होती है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेजा उस पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर हमको उन्हें साधारण तारांकित प्रश्न करने पड़ते हैं और बहुत से अतारांकित प्रश्न ही करने पड़ते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि जो प्रश्न ऐसे हों कि फोन द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से आसानी से जिन के सम्बन्ध में सूचना मिल सकती हो ऐसे प्रश्नों को भी इसमें शामिल कर लें तो बड़ी कृपा हो।

श्री अध्यक्ष--अगर किसी विषय में स्टैटिस्टिक्स तैयार रहते हों, तो ठीक है। लेकिन अगर जिले में बहुत सी जगह इनक्वायरी करनी पड़े तो मुश्किल हो जाता है। यह तो हो सकता है कि अगर जिले के आफिसर्स से फोन पर पूछें, उनके दफ्तर से सूचना हासिल कर लें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन एक बड़ा भारी प्रिविलेज इस सदन के सदस्यों का और विशेष कर जो सदस्य विरोध में बैठते हैं उनका है। यह आपने ठीक ही फरमाया कि अधिक मात्रा में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां तक मुझे मालूम है हाउस आफ कामन्स में तो लीडर आफ अपोजीशन या और जो अपोजीशन की पार्टीज के लीडर्स हैं, वही आम तौर पर शार्ट नोटिस क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यहां सभी सदस्य पूछ सकते हैं, यह एक बड़ी स्वस्थ प्रथा है। शार्ट नोटिस क्वेश्चन एक तरह का ऐडजर्नमेंट मोशन का सब्स्टीच्यूट है, थोड़े समय में, तात्कालिक आपत्ति अथवा अन्य आवश्यक घटना की ओर सरकार का ध्यान दिलायें और आवश्यक सूचना प्राप्त करें।

श्री अध्यक्ष---बात यह है, मैंने माननीय सदस्यों का अधिकार तो सीमित नहीं किया है। मैंने केवल यह कहा कि उनको खुद सोच लेना चाहिए। सीमा तो वह खुद तय करेंगे। माननीय सदस्यों को पूर्ण स्वतंत्रता है वह गलत सवाल भी दे सकते हैं। मैं ने सुझाव सिर्फ दिया है कि वे मेरी बात को सोच लें जिसमें समय का अपव्यय न हो।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के स्वयं सोचने की बात है कि इस अधिकार का उपयोग कहां तक वे करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का उत्तर फिर देर में मिलने लगा है। आपने व्यवस्था दी थी कि शीघ्र से शीघ्र उत्तर मिले।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि मैं अगर किसी प्रश्न को अल्पसूचित मंजूर भी कर लूं तो नियम में यह अधिकार दिया गया है मन्त्री को कि अगर वह समझते हैं कि इतने समय में वे उत्तर नहीं दे सकते तो उसे अस्वीकार कर देते हैं, यह भी होता है। इसलिए मैंने समय बचाने के लिए कहा कि माननीय सदस्य स्वयं भी सोच लें और मैं तब मंत्रियों से भी यह कह सकता हूं कि इस सवाल का जवाब आप अपने दफ्तर से पता लगा कर दे सकते थे। लेकिन १००, १०० सवाल इस तरह के आ जायं, जिनमें समय बहुत लगता हो, तो उनका कहां तक समय में जवाब दिया जा सकता है?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---बहुत से अल्पसूचित तारांकित प्रश्न तारांकित कर दिये जाते हैं और हमको सूचना भी नहीं दी जाती?

श्री अध्यक्ष---जो मंजूर नहीं होते वे तारांकित किये जाते हैं।

श्री उग्रसेन---हमें यह सूचना दे दी जाय कि आपका अल्पसूचित तारांकित प्रश्न तारांकित प्रश्न अब होगा।

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है। इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि एक क्वेश्चन इस तरह का भेजा था जिसको १०, १२ दिन से अधिक हो रहे हैं और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आम चुनावों के सम्बन्ध में था, जिसका गवर्नमेंट की पालिसी से सम्बन्ध था। मुझे आज तक पता नहीं चला कि मंजूर हुआ या नहीं।

श्री अध्यक्ष---अब एक-एक प्रश्न के बारे में तो बताना मुश्किल होगा। आप इसके बारे में मेरे कमरे में मुझ से पूछ लें।

उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर विधेयक, १९५७

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७ को विधान सभा की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट १३ सितम्बर सन् १९५७ तक दे दे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रक्रिया नियमावली के नियम ९५ के अनुसार इस प्रस्ताव पर आपत्ति है। प्रक्रिया नियमावली के नियम ९५ के अन्त में यह कहा गया है कि---

> "परन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न कर दी गयी हों, और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व इस प्रकार उपलब्ध न कर दी गयी हों, तो कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव के लिये जाने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दे।"

तो माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष---तो आपको आपत्ति है?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जी, मुझे आपत्ति है और आपत्ति का कारण यह है कि जैसा कि आप को मालूम है यह विधेयक कल जब पुरःस्थापित किया गया था तब तक इसकी कापियां सदन की मेज पर नहीं आयी थीं। वह उसके बाद में आयीं। कुल आधा दिन मिला है और विधेयक महत्वपूर्ण है। मैं उन लोगों में से हूं जो उसके सिद्धान्त से सहमत हैं। मैं इस बिल के सिद्धान्त का स्वागत और समर्थन करता हूं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि उस पर अच्छी तरह से विचार होने के लिए आवश्यक है कि आज वह न हो, पूरे तीन दिन के बाद उस पर विचार किया जाय इसलिए मेरी प्रार्थना आप से यह है कि आप इसको पेश करने की अनुज्ञा न दें। तीन दिन हो जाने के बाद यह आ जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, जैसा माननीय इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता ने अभी फरमाया, मैं उनकी राय से सहमत हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार करने के लिए सदस्यों को कुछ समय मिलना चाहिए। मैं इतना और निवेदन करूंगा कि इस तजवीज के द्वारा एक टैक्स लगाया जा रहा है और टैक्स लगाये जाने के मामले में उजलत नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय माल मन्त्री से यह श्रीमन्, आपके द्वारा दरख्वास्त करूंगा कि वह . . .

श्री अध्यक्ष---यह इस समय माल मन्त्री का सवाल नहीं है। इस वक्त तो मेरा सवाल कि मैं इजाजत दूं या न दूं।

श्री त्रिलोकी सिंह---मैं जानता हूं। लेकिन मान्यवर, अगर वह अपने प्रस्ताव पर इसरार न करें, तो आप के कार्य में भी सहूलियत हो जायगी कि वह इस बिल को पूरे तौर पर समझ लेने के लिए सदस्यों को मौका दें। मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिए आज नहीं आज के बाद विचार करने के लिए समय नियत करने की कृपा करें।

---

†१० सितम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेताओं ने जो फरमाया है वह बहुत मुनासिब बात है कि तीन दिन का वक्त मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ मेरी गलती कहें, मजबूरियां कहें, वह अब से पहले बिल मैं पेश नहीं कर सका। ख्वाहिश गवर्नमेंट की यह है कि १९ तारीख तक इस सदन से यह स्वीकार हो जाय ताकि कौंसिल में भी पेश होकर और सम्भव हो तो इस महीने के आखिर तक यह अधिनियम का रूप धारण कर ले ताकि इस साल से यह ऐक्ट लागू हो जाय। लेकिन जहां गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है वहां यह बात भी बिलकुल मुनासिब ही है कि विरोधी पार्टी को ही नहीं बल्कि सभी मित्रों को यथेष्ट वक्त मिल जाय ताकि वे इस पर मनन कर सकें। तो मैं आपकी इजाजत से सदन से बल्कि आप से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कल मुझे यह मोशन पेश करने की इजाजत दे दें। कल दो ही दिन होंगे। लेकिन यह दो दिन काफी यों होने चाहिएं कि यह बिल एक प्रकार से ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स पर ही आधारित है। इसकी धारायें वही हैं जो पुरानी हैं। इसका स्वरूप सिर्फ बदला है। यह इन्कम टैक्स न होकर अब प्रापर्टी टैक्स हो रहा है, लेकिन अन्तर ज्यादा नहीं है। शब्दावली प्रायः वही है। इसलिए मैं समझता हूं कि ३ दिन के बजाय दो दिन काफी हैं।

श्री अध्यक्ष---तो आप चाहते हैं परसों ले लें, या कल ले लिया जाय ?

श्री चरणसिंह---कल लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई आपत्ति है ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका तो समर्थन करता हूं कि जो माल मंत्री महोदय ने कहा कि १९ तारीख तक इसको पास होना जारूरी है, उस समय तक वह जरूर पास होना चाहिए और उस में उन्हें हमारा सहयोग भी मिलेगा कि १९ तारीख तक यह पास हो जाय, लेकिन मुझे केवल उनसे यह प्रार्थना करनी थी कि नियम को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह १३ तारीख को भी पेश कर दें, और १३ तारीख का कार्यक्रम कल के लिए रख दिया जाय तो दोनों बातें सध सकती हैं। यदि आप को और उन्हें स्वीकार हो तो अच्छा होगा। अगर उसमें कोई बाधा हो, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, तो मैं कल के लिए माननीय मन्त्री जी की बात मान लूंगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, इसकी आज्ञा देने के पूर्व मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप ही के सचिवालय से यह २२ तारीख का नोटिस दिया गया था जिसमें यह साफ तौर से लिखा हुआ है कि यह विधेयक पुरः स्थापित होगा। इससे साफ जाहिर है कि सरकार को इसके लिए इतनी उतावली नहीं थी कि १९ तारीख तक हो जाय और आज माननीय मन्त्री जी चाहते हैं कि यह १९ तारीख से पहले पारित भी हो जाय, तो कौन सी ऐसी वजह आ पड़ी।

श्री अध्यक्ष---अब सरकार का मंशा क्यों बदला, क्यों उनका विचार परिवर्तन हुआ, यह तो बहस शुरू हो गयी, यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माल मन्त्री जी ने जो कल के लिए कहा तो दो दिन ही होते हैं और बिल पढ़ा भी नहीं जा सका है, तो मैं समझता हूं कि आप तीन दिन के नियमों की पाबन्दी का आदेश देने की कृपा करेंगे और कल के लिए इसको न रखेंगे।

श्री अध्यक्ष---दो विचारधारायें इस में मालूम होती हैं। एक तो यह कि परसों रखा जाय दूसरी यह कि कल। अब अगर मैं परसों के लिये रखता हूं तो कल के लिये कोई काम नहीं रहता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---गैर सरकारी काम हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष---गैर सरकारी काम परसों का कल हो सकता है, यह एक बात हो सकती है । सिर्फ दिक्कत इतनी है कि गैर सरकारी काम बैलट से तय होता है और जिनके नाम प्रस्ताव पहले हैं, केवल उनको ही यह अधिकार है कि पहले प्रस्ताव पेश करें । अब मैं जरा पूछ लेता हूं । श्री रामगोपाल गुप्त मौजूद हैं ? नहीं हैं । उनका पहला प्रस्ताव है । अगर वह यह कहें कि हम तो परसों आने वाले थे, तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी । दूसरे हैं श्री मुरलीधर कुरील---वह भी मौजूद नहीं हैं । तीसरे श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---वह भी मौजूद नहीं हैं । तो अगर गैर सरकारी काम मैं कल ले लेता हूं तो बहुत से लोगों को यह शिकायत होगी कि वे परसों आने वाले थे और उनका प्रस्ताव कल दिन निश्चित होने से रह गया । कल के लेने में किसी को भी आक्षेप न हो तो यह विधेयक कल लेना अच्छा होगा । मैं माननीय विरोधी दल के नेता से पूछूंगा कि उनको इस विषय में कुछ कहना है ?

श्री त्रिलोकीसिंह---मुझे कोई आपत्ति नहीं है---कल ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---तो मैं इस बात की इजाजत देता हूं कि इस विधेयक को कल लिया जाय । आज ५ बजे के बाद जो विवाद होने वाला था वह भी ५ ही बजे के बाद होगा । मैं खास तौर पर कल के लिये उसके लिये परमिशन दे दूंगा ।

प्रक्रिया नियमावली पर विचार करने का सुझाव

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता था कि आज का दिन खाली न जाय और मेरी प्रार्थना यह थी कि प्रक्रिया नियमावली की प्रवर समिति की रिपोर्ट पर आज विचार कर लिया जाय । वह रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है कि १९५४ से उस पर कार्य हो रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जो उसके सदस्य रह चुके हैं । इस समय भी माननीय वित्त मंत्री, माननीय माल मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य उसके सदस्य थे । उसकी जो रिपोर्ट हुई है वह सर्वसम्मत रिपोर्ट हुई है और सब दलों के लोग उससे सहमत हैं । कई वर्षों से काम रुका हुआ है । अगर सदन के नेता को यह स्वीकार हो तो आज इस पर विचार हो जाय । वह तो एक ऐसा काम है जो सर्वसम्मत्ति से होना चाहिये । मैं समझता हूं कि वह आसानी से कुछ समय में स्वीकार हो सकता है । तो मेरी यह प्रार्थना है कि यदि माननीय सदन के नेता को स्वीकार हो तो आज रहे ।

श्री अध्यक्ष---यह सर्व सम्मति से ही हो सकता है । कोई बहुमत से इसमें खाली फैसला नहीं लेना है । जैसी कल के लिये असरकारी कार्य के लिये अड़चन पड़ सकती है, तो इसमें भी वही कारण अड़चन डाल सकते हैं । लेकिन उसके लिये भी मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं हो सकती अगर सर्वसम्मति से यह निश्चय हो । अगर एक भी माननीय सदस्य इसके विरोध में हुआ तो मैं इस चीज को नहीं ले सकूंगा ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करूंगा कि आपने जैसा सुझाव दिया है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होती जो पहले जरा मालूम होता । इस वक्त माननीय सदस्यों को यह दिक्कत है कि वे अपनी रूल्स की किताबें भी अपने साथ लेकर नहीं आये हैं । एक नजर डालने की जरूरत होगी । यह चीज ठीक है कि सर्वसम्मति से हाउस में इसको पास करना है । तो नजर डाल लेना जरूरी है और जरा किताबें भी साथ हों तो मुनासिब होगा । मैं अर्ज करूंगा कि इसे आज न लेकर कल ही ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—आपको ऐतराज है । तो मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । आज अब कोई कार्यक्रम बाकी नहीं रहा । यह जो विधेयक है इसके लिये मैं इतनी इजाजत दे देना चाहता हूं कि नियम के अनुसार जो तीन दिन की मियाद नोटिस की है उसको कम करके इसे कल लिया जावे । लिहाजा कल इसको विचार करने के लिये उपस्थित किया जाय और असरकारी काम परसों का परसों ही रहेगा । आज अब कोई कार्य न होने की वजह से अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन १२ बजकर २४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

लखनऊ ;
११ सितम्बर, १९५७ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

प्रेस प्रति

नत्थी 'क'

विवरण-पत्र 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३–१४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर)

जिला सीतापुर के थानों में दिनांक १–३–१९५४ से ३०–७–१९५७ तक हुए डकैती, चोरी, कत्ल और राहजनी के मामलों का विवरण

क्रम संख्या	थाना	डकैती					चोरियां					कत्ल					राहजनी			क्रम न्यायालय
		रिपोर्ट दर्ज की गई	चालान किया गया	सजा हुई	छूट गये	न्याया-लय में विचारा-धीन	रिपोर्ट दर्ज की गई	चालान	सजा	छूट गया	न्याया-लय में विचारा धीन	रिपोर्ट	चालान	सजा हुई	छूट गया	न्याया-लय में विचारा धीन	रिपोर्ट	चालान	सजा हुई	छूट गया	
१	कोतवाली	१३	११	५	३	३	६७३	१०६	६३	३३	१०	१६	१२	७	–	५	१०	५	२	२	१
२	कमलापुर	८	५	३	२	–	१९१	५०	२७	१७	६	१४	११	४	४	३	७	५	३	–	२
३	महोली	९	९	२	३	४	२५६	८७	४१	३३	१३	१८	१२	५	३	४	१२	९	४	२	३
४	पिसांवां	६	५	३	२	–	१०६	३८	२२	१६	–	८	५	३	१	१	४	३	२	–	१
५	मिसरिख	१२	१०	४	३	३	२१३	५१	२९	११	११	११	९	१	६	२	५	३	१	–	३
६	सन्धना	६	६	–	४	२	११५	३४	१९	८	७	१०	७	२	३	२	१	१	१	–	१
७	सिधौली	६	६	५	–	१	२१८	४७	३३	१०	४	१२	९	२	५	२	३	२	१	–	१
८	खैराबाद	४	४	२	१	१	१४६	२६	१५	४	७	४	२	१	१	–	४	३	१	१	१
९	महमूदाबाद	८	७	५	१	१	१४२	४२	२०	१८	४	८	६	३	१	२	–	–	–	–	१
१०	हरगांव	१२	१०	६	२	२	२२६	४९	२४	११	४	७	४	–	३	१	४	३	१	१	१
११	लहरपुर	६	४	–	१	३	२१६	३६	१९	११	६	९	७	२	३	२	३	१	१	–	१
१२	तालागांव	१०	९	३	५	१	२९२	३९	२३	१२	४	१४	११	३	८	–	४	२	१	–	१
१३	बिसवां	८	८	३	३	२	२०३	४०	२३	७	१०	१०	६	४	१	१	३	१	१	–	१
१४	सदरपुर	४	४	३	–	१	१४०	३४	१८	१०	६	७	४	४	–	–	–	–	–	–	१
१५	थानागांव	५	४	१	१	२	९९	३१	२२	८	१	११	९	४	४	१	२	२	१	–	१
१६	तम्बौर	४	४	१	१	२	१३५	४०	२३	१५	२	१०	६	२	३	१	–	–	–	–	१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर।)

दिनांक १–३–५४. से ३०–७–५७ तक जिला सीतापुर के प्रत्येक थाना से जो केस न्यायालयों में भेजे गये उनमें से सबसे अधिक मुकदमें निम्नलिखित थानों के सफल व असफल हुये:

मुकदमें	सबसे अधिक सफलता	सब से कम सफलता
१—डकैतियां ..	सिधौली १००%	सदरपुर १००	तालगांव ३७ १/२%
२—चोरियां ..	कमलापुर ७६ १/२%		पिसावां ४२%
३—कत्ल ..	कोतवाली १००%	सदरपुर १००	हरगांव ×
४—राहजनी ..	सिधौली १००%	कमलापुर १००	मिश्रिख ×

कुल उपरोक्त अपराधों का योग करके प्रतिशत निकालने पर निम्नलिखित थाना सफल या असफल रहे। सबसे अधिक सफलता—

(१) थाना कोतवाली .. ७३.३ प्रतिशत

(२) थाना सिधौली .. ७३.२५ प्रतिशत

सब से कम सफलता-थाना तालगांव .. ५४.५ प्रतिशत

नोट—प्रतिशत फल सजा व रिहा के केसों का दिया गया है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२९ पर।)

सूची (क)

१५ अगस्त, १९५७ के दिये गये परिहार के विभिन्न परिणामों का विवरण

बन्दियों की श्रेणी	दिया गया परिहार या छूट
१	२
१--दस वर्ष से अधिक अवधि का कारावास का दन्ड पाये हुये बन्दी या आजीवन कारावास का दन्ड पाये हुये बन्दी ..	१ वर्ष ।
२--५ वर्ष से १० वर्ष तक की अवधि का कारावास का दन्ड पाये हुये बन्दी ..	६ मास ।
३--१ वर्ष से ५ वर्ष तक की अवधि का कारावास का दन्ड पाये हुये बन्दी ..	३ मास ।
४--१ मास से १ वर्ष तक की अवधि का कारावास का दन्ड पाये हुये बन्दी	पूरे अवशिष्ट कारावास के दन्ड का परिहार एवं रिहाई--यदि उन्होंने पूर्व उपार्जित परिहार को मिलाकर कारावास के दन्ड का आधा भाग भुगत लिया रहा हो । यदि वे इस प्रकार मुक्ति के अधिकारी न रहे हों तो उन्हें दो मास का परिहार या छूट दिया गया ।
५--प्रिजन्स ऐक्ट के अन्तर्गत दण्डित बन्दियों को छोड़ कर, १ मास या उस से कम अवधि का कारावास का दन्ड पाये हुये बन्दी	कारावास के दन्ड का समस्त अवशिष्ट भाग एवं रिहाई ।

२--अपराध करने के अभ्यस्त अभियुक्तों एवं हत्या, डाका, लूट इत्यादि अपराधों से सम्बन्धित बन्दी उपर्युक्त परिहार के अधिकारी नहीं थे। वरन् उन्हें कुछ संशोधित परिमाण में (उपर्युक्त परिमाण का करीब-करीब आधा) परिहार दिया गया।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर।)

बलिया जिले के थानों में सन् १९५६ के जनवरी मास से लेकर १९५७ के ३१ जुलाई तक हुये डकैती एवं कत्ल के मामलों का विवरण

क्रम संख्या	थाना		डकैतियों की संख्या	कत्ल की संख्या
१	२		३	४
१	कोतवाली	..	२	२
२	बांसडीह	..	५	६
३	सिकन्दरपुर	..	२	५
४	हल्दी	..	२	३
५	रसड़ा	..	४	१
६	गड़वार	..	६	—
७	नगरा	..	३	२
८	नरही	..	१	२
९	भीमपुरा	..	२	१
१०	उभाव	..	—	१
११	हल्धरपुर	..	—	—
१२	बैरिया	..	—	१
१३	सहतवार	..	—	१
	योग	..	२७	२५

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३८ पर।)

सूची (अ)

सितम्बर, १९५६ से जून, १९५७ तक में फीस माफी की पूर्ति के स्वीकृत धन का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्वीकृत धन
१	२	३
		रु०
१	गाजीपुर	२,२५,०००
२	बस्ती	२,२५,०००
३	देवरिया	४,३६,०००
४	आजमगढ़	२,२५,०००
५	वाराणसी	२,७३,७६०
६	बलिया	२,००,०००
७	गोरखपुर	२,२७,००५
८	मेरठ	७५,०००
९	बुलन्दशहर	४५,०००
१०	मुजफ्फरनगर	३५,०००
११	सहारनपुर	३५,०००
१२	फर्रुखाबाद	४०,०००
१३	इलहाबाद	२,०५,०००
१४	मिर्जापुर	५५,०००
१५	हमीरपुर	१५,०००
१६	बांदा	१५,०००
१७	अलीगढ़	१०,०००
१८	उन्नाव	३५,०००
	कुल योग	२३,७६,७६५

सूची (ब)

जून, १९५७ के बाद के स्वीकृत धन का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्वीकृत धन
१	२	३
		रु०
१	मिर्जापुर	१२,३५५
२	वाराणसी	९८,७६०
३	गाजीपुर	२,२०,०००
४	बलिया	१,८६,२४०
५	देवरिया	१७,१६८
	कुल योग ..	५,३४,५२३

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१–९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४० पर।)

सन् १९५६ तथा सन् १९५७ में जुलाई तक जिला बस्ती के थाना कलवारी और थाना कप्तानगंज के अन्तर्गत हुई चोरियों तथा डकैतियों का विवरण

		१९५६				१९५७ जुलाई तक			
		घटनाओं की संख्या	पता चले मामलों की संख्या	पकड़े गये लोगों की संख्या	टिप्पणी	घटनाओं की संख्या	पता चले मामलों की संख्या	पकड़े गये लोगों की संख्या	टिप्पणी
थाना कलवारी	चोरी	२३	३	१७	..	१२	२	२	..
	.. डकैती	..	..	..	..	१	..	..	इस मामल में अभी जांच हो रही है।
थाना कप्तानगंज	चोरी	२८	९	२२	..	१८	४	१८	..
	. .डकैती	२	२	२१	..	..	..	..	..